न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 26/2019

अपीलांट्स –

1. किस्तुराराम पुत्र मगाराम
   जाति जाट निवासी नेहरों का तला
   तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. जेताराम पुत्र वगताराम
2. ठाकराराम पुत्र वगताराम
3. सुखदेव पुत्र वगताराम
4. बाबूलाल पुत्र वगताराम
5. दिलिप कुमार पुत्र वगताराम
6. पर्वतसिंह पुत्र लुभाराम
7. रूखमणाराम पुत्र लुभाराम
8. अर्जुनराम पुत्र लुभाराम
9. भीखीदेवी पत्नी लुभाराम
10. पारूदेवी पत्नी लुभाराम
11. विशनाराम पुत्र मगाराम
12. सोनाराम पुत्र मगाराम
13. तिलोकसिंह पुत्र सोनाराम
14. खुमाराम पुत्र सोनाराम
    जाति जाट निवासी नेहरों का तला
    तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
15. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2018 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बाड़मेर (राज.)

उपस्थिति :–

1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री पुरूषोतम सोलंकी, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 14 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 15 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 18.08.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 04 दिनांक 30.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा नेहरों का तला के खसरा नंबर 655, 665, 666, 667, 668, 669 व 670 कुल रकबा 656–08 बीघा एवं ग्राम हुडों का तला के खेत खसरा नंबर 248 रकबा 62–18 बीघा दोनों गांवों का कुल रकबा 719 बीघा 06 बिस्वा भूमि के खातेदारान अपीलार्थी एवं उतरदाता संख्या 01 से 14 कौम जाट निवासी नेहरों का तला तहसील गुडामालानी के नाम दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने अपनी खातेदारी की अपीलाधीन भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 30.05.2018 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार गुडामालानी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक 04 दिनांक 30.05.2018 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नेहरों का तला के खसरा नंबर 655, 665, 666, 667, 668, 669 व 670 कुल रकबा 656–08 बीघा एवं ग्राम हुडों का तला के खेत खसरा नंबर 248 रकबा 62–18 बीघा दोनों गांवों का कुल रकबा 719 बीघा 06 बिस्वा में अपीलांट का हिस्सा 1/5 है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते हैं। उपरोक्त खसरों की भूमि में अपीलांट का 1/5 हिस्से में 143 बीघा 17 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि, वगताराम के वारिसान उतरदाता संख्या 01 से 05 का 1/5 हिस्से में 143 बीघा 17 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि लुभाराम के वारिसान उतरदाता संख्या 06 से 10 का 1/5 हिस्से में 143 बीघा 17 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि, उतरदाता संख्या 11 विसनाराम का 1/5 हिस्से में 143 बीघा 17 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि और उतरदाता संख्या 12 से 14 का 1/5 हिस्से में 143 बीघा 17 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि खातेदारी में है। उपरोक्त हिस्सों माफिक आपसी सहमति से तहसीलदार गुडामालानी को पूर्ण रूप से जांच करके और मौके पर जाकर के प्रमाणित करके राजस्व नियम 18 से 21 के तहत अच्छी व खराब भूमि को 05 हिस्सों में बराबर देकर बंटवारा करना चाहिए था, किंतु अपीलांट हिस्से केवल 108 बीघा 15 बीस्वा ही भूमि दी गई है, इस प्रकार अपीलांट को 35 बीघा 02 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि कम दी गई है। लिहाजा रेस्पोडेंट संख्या 14 द्वारा हलका पटवारी को अपने प्रभाव में लाकर बेरों की भूमि अपने भाईयों के हिस्से में रखवा दी और धोरे की भूमि अपीलांट के हिस्से में रखवा दी। ऐसी स्थिति में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त योग्य है।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राज.)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

5. अधिवक्ता अपीलांट्स ने यह भी निवेदन किया कि जमाबंदी में दर्ज हिस्से के मुताबिक आपसी सहमति से बंटवाडा नही कर उसके विपरित बंटवाडा किया गया है, जिसका ज्ञान अपीलांट अनपढ़ व ग्रामीण होने से उसे इतने दिनों तक नहीं हुआ बल्कि उतरदातागण ने अपीलांट को धमकी दी कि अपीलांट के कब्जे की भूमि हमारे बंट में आ गई है तो अपीलांट ने पटवारी से पूछा तो पटवारी हल्का ने अपीलांट को दिनांक 16.09.2019 को बताया कि आपके खाते में केवल 108 बीघा 15 बीस्वा भूमि ही दर्ज है तब अपीलांट ने तहसील कार्यालय गुडामालानी जाकर आपसी बंटवाडे की नकल उसी दिन 16.09.2019 को मांगी जो नकल उसी दिन प्राप्त हो गई। नकल देखने पर अपीलांट को पता चला कि उपरोक्त बंटवाडे में उसके हिस्से में 143 बीघा 17 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि के स्थान दिन प्राप्त हो गए। नकल देखने पर अपीलांट को पता चला कि उपरोक्त बंटवाडे में उसके हिस्से में 143 बीघा 17 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि के स्थान पर केवल 108 बीघा 15 बीस्वा भूमि ही दी गई है, जिस पर उपरोक्त गलत बंटवाडा होने का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। इस प्रकार ज्ञान की तिथि से यह अपील अंदर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट अंदर मयाद स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 14 के अधिवक्तागण द्वारा जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 14 ने दिनांक 30.05.2018 को तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष उपस्थित होकर संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नेहरों का तला के खसरा नंबर 655, 665, 666, 667, 668, 669 व 670 कुल रकबा 656—08 बीघा एवं ग्राम हुडों का तला के खेत खसरा नंबर 248 रकबा 62—18 बीघा दोनों गांवों का कुल रकबा 719 बीघा 06 बिस्वा भूमि का सहमति विभाजन हेतु इकरारनामा प्रस्तुत किया। पक्षकारान की पहचान आईएलआर रतनपुरा द्वारा की गई। हलका पटवारी द्वारा विभाजन इकरार की ताईद करते हुए कब्जा एवं रेकर्ड अनुसार विभाजन होना पुष्टि किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार पर विभाजन इकरारनामा स्वीकृत करते हुए राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हलका पटवारी को अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। इसके अलावा एक अन्य खेत ग्राम नेहरों का तला में खेत खसरा नंबर 678/1 रकबा 33 बीघा 04 बीस्वा भूमि का अंकन अपीलांट द्वारा इस अपील में नहीं किया गया है, जो भूमि भी पक्षकारान की संयुक्त कब्जा काश्त की थी तथा जिस भूमि पर पक्षकारान के पूर्वज श्री मगाराम पुत्र हीराराम जी द्वारा संवत् 2013 से 2025 में काश्त की जाती थी, जिसकी गिरदावरी भी अपीलांट व उतरदातागण के पूर्वज श्री मगाराम पुत्र हीराराम जी के नाम से दर्ज की जाती रही है तथा बाद में पक्षकारान के पूर्वज श्री मगाराम जी ने उक्त ग्राम नेहरों के तला के खसरा नंबर 678/1 रकबा 33 बीघा 04 बीस्वा भूमि परिवार की संयुक्त आय से क्रय कर अपीलांट के नाम से रजिस्ट्री करवा दी गई। इस प्रकार अपीलांट के हिस्से में उक्त विभाजन निर्णय दिनांक 30.05.2018 में अनुसार 108 बीघा 15 बीस्वा दी गई। इसके अलावा पक्षकारान के पूर्वज श्री मगाराम जी के कब्जा काश्त की भूमि जो अपीलांट के नाम से रजिस्ट्री करवाई भूमि 33 बीघा 04 बीस्वा कुल रकबा 141 बीघा

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बाड़मेर (राज.)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

19 बीस्वा भूमि अपीलांट के हिस्से में दी गई है। जो सभी पांचों परिवार को बराबर पांचवा–पांचवा हिस्सा अनुसार सही विभाजित कर दिनांक 30.05.2018 को सही व विधिवत रूप से विभाजन किया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अपनी वृद्धावस्था का आलम्ब लेते हुए करीब सवा साल बाद प्रस्तुत की है। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील गुणावगुण पर कमजोर होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा नेहरों का तला के खसरा नंबर 655, 665, 666, 667, 668, 669 व 670 कुल रकबा 656–08 बीघा एवं ग्राम हुडों का तला के खेत खसरा नंबर 248 रकबा 62–18 बीघा दोनों गांवों का कुल रकबा 719 बीघा 06 बिस्वा भूमि के खातेदारान अपीलांट एवं उतरदातागण नाम दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने अपनी खातेदारी की अपीलाधीन भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 30.05.2018 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार गुडामालानी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक 04 दिनांक 30.05.2018 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2019 को प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट किया है कि उपरोक्त खसरों की भूमि में अपीलांट का 1 / 5 हिस्से में 143 बीघा 17 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि, वगताराम के वारिसान उतरदाता संख्या 01 से 05 का 1 / 5 हिस्से में 143 बीघा 17 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि लुभाराम के वारिसान उतरदाता संख्या 06 से 10 का 1 / 5 हिस्से में 143 बीघा 17 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि, उतरदाता संख्या 11 विसनाराम का 1 / 5 हिस्से में 143 बीघा 17 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि और उतरदाता संख्या 12 से 14 का 1 / 5 हिस्से में 143 बीघा 17 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि खातेदारी में है। उपरोक्त हिस्सों माफिक आपसी सहमति से तहसीलदार गुडामालानी को पूर्ण रूप से जांच करके और मौके पर जाकर के प्रमाणित करके राजस्व नियम 18 से 21 के तहत अच्छी व खराब भूमि को 05 हिस्सों में बराबर देकर बंटवारा करना चाहिए था, किंतु अपीलांट हिस्से केवल 108 बीघा 15 बीस्वा ही भूमि दी गई है, इस प्रकार अपीलांट को 35 बीघा 02 बीस्वा 04 बीस्वांसी भूमि कम दी गई है। उसमें रेस्पोडेंट संख्या 14 द्वारा हलका पटवारी को अपने प्रभाव में लाकर बेरों की भूमि अपने भाईयों के हिस्से में रखवा दी और धोरे की भूमि अपीलांट के हिस्से में रखवा दी। अधिवक्ता उतरदातागण द्वारा अपने जवाब में यह प्रकट किया है कि अपीलांट द्वारा पेश अपील में पूर्वज श्री मगाराम जी के कब्जा काश्त की भूमि जो अपीलांट के नाम से रजिस्ट्री वर्ष 1968 में करवाई भूमि 33 बीघा 04 बीस्वा भूमि का उल्लेख न कर महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया गया है। इस अनुसार अपीलांट को अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि प्राप्त हो चुकी है, जिस पर अपीलांट द्वारा बंटवाडे प्रस्ताव के समय तहसीलदार गुडामालानी के समझ पेश होकर दिनांक 30.05.2018 को अपनी सहमति जताई, जिस

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राज.)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा उक्त भूमि का सही व विधिवत रूप से विभाजन किया गया है। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। हमने अधिवक्ता पक्षकारान एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें यह पाया गया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत इस अपील में यह तथ्य छुपाया गया है कि उनके स्वामित्व की जमीन मौजा नेहरों का तला के खसरा नंबर 678/1 रकबा 33 बीघा 4 बीस्वा को पारिवारिक संयुक्त आय से अर्जित भूमि अपीलांट के नाम रजिस्ट्री करवाई गई थी। अपीलांट को दिनांक 30.05.2018 में प्राप्त अपने हिस्सा 108 बीघा 15 बीस्वा में उक्त खसरा नबंर 678/1 रकबा 33 बीघा 4 बीस्वा मिलाया जाता है तो सभी पांचों भाईयों को अपना 1/5 हिस्सा प्राप्त हो गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील साफ हाथ एवं स्वस्थ मस्तिष्क द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, इस वजह से अपीलांट को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। चूकिं अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट एवं उतरदातागण के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित हैं जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित विभाजन प्रस्ताव से अनभिज्ञ नहीं थे। जहां तक विभाजन में भूमि कम–ज्यादा दिये जाने का तथ्य हैं तो विभाजन प्रस्ताव अनुसार सभी को हिस्सा अनुसार ही भूमि बंटवारा में दी गई हैं। अपीलांट द्वारा तत्समय ही अपीलाधीन आदेश में त्रुटिपूर्ण विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई थी। तहसीलदार नौखड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा नेहरों का तला के खसरा संख्या 670 रकबा 487–05 बीघा में 105 बीघा भूमि अनुपजाऊ, उबड–खाबड़ एवं धोरा है, जो बिना काश्त के खाली है। उक्त 105 बीघा भूमि का रेकर्ड में विभाजन हो चुका है, लेकिन मौके पर शामलाती रूप में अवस्थित है। लिहाजा अपीलांट की हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

(राजेन्द्र सिंह [illegible])
अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राज.)